

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-2/एल-40/2025-

/स्वा०,

पटना, दिनांक

/ /2025

डा० शशिधर कुमार, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, हाजीपुर, वैशाली के द्वारा दिनांक-01.02.2024 से 30.09.2024 तक कुल-243 (दो सौ तैंतालीस) दिनों को उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1113(25) दिनांक-30.05.2025 से प्राप्त अवकाश आदेयता एवं बिहार सेवा संहिता के नियम-230 एवं 248 के आलोक में उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

ह०/-

(विद्यानन्द जमादार)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-2/एल-40/2025-

1244(2)

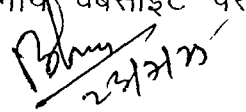
पटना, दिनांक

23/7/2025

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, वैशाली (हाजीपुर)/अधीक्षक, सदर अस्पताल, हाजीपुर, वैशाली/कोषागार पदाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर/डा० शशिधर कुमार, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, हाजीपुर, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव।